T.D.R. धारा के आदेश. ले 3, 24 3007/2014
राजस्थान सरकार द्वि (412162 राशि पगान)
(... 128) T.D.R/फसादे के कब्जे में (तीन वर्ष में सालाना)

जनरल ... सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंवस फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
177	59/2019 2019/00229	30-8-19	25/9/24	3.5.24 (निर्णयार्थ) 7.6.24 21.6.24 12.7.24 5/8/24 8/8/24 14/8/24 2/9/24 9/9/24 17/9/24

अनवान

श्री राज० सरकार जरिये तहसीलदार V/S श्री कमलेश कुमार पि० भंवरलाल धाकड़

निवासी बिजौलियां निवासी किशनपिपरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

श्री पैरोकार सरकार श्री ओमप्रकाश शर्मा

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2019/00229

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
धारा 177	59/19	30/8/19		

अनवान

राजस्थान सरकार .... श्री कमलेश S/o भंवरलाल धाकड़

वासी बिजौलिया .... निवासी किशन निवास

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट .... अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार .... मदयून

पैरोकार सरकार .... श्री ओम प्रकाश शर्मा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं.______ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/19	वादपत्र [illegible] के साथ जांच पेश हुई। तहसीलदार हाजिर। प्रतिवादीगण को नोटिस मय नकल जारी होकर वास्ते जवाब दिनांक 26.9.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा	
9/19	[illegible] उपस्थित श्रीमान् P.O. [illegible] दिनांक 24.10.19 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
10/19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. स्थानान्तरणाधीन हैं। पत्रावली दिनांक 21.11.19 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. स्थानान्तरणाधीन हैं। पत्रावली दिनांक 26.12.19 को वास्ते जवाब पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	

यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 59 / 2019 दायर तारीख 30.08.2019

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. कमलेश कुमार पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. श्री ओमप्रकाश शर्मा – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– २5/09/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 82 रकबा 4.09 बीघा किस्म बारानी प्रथम नहरी भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 82 रकबा 4.09 बीघा में से 160X150X6 घनफीट मे मिट्टी व टोले की झड़ाई तथा 140X90X4 घनफीट में सेण्ड स्टोन का पत्थर काटा गया। रकबा 1.08 बीघा भूमि में से अवैध खनन किया गया। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं ली जाकर अवैध खनन कार्य किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखल करने योग्य हैं।

अतः प्रतिवादी की ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की सरहद में स्थित आराजी नं0 82 रकबा 4.09 बीघा में से 160X150X6 घनफीट मे मिट्टी व टोले की झड़ाई तथा 140X90X4 घनफीट में सेण्ड स्टोन का पत्थर काटा गया। रकबा 1.08 बीघा भूमि में से अवैध खनन होने से उक्त आराजी को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी के बावजूद इत्तिला गैर हाजिर रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। उक्त संबंध में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा 300 रूपये कॉस्ट पर स्वीकार किया गया।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया तथा प्रकरण में विपक्षी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बहु पक्षीय बहस सुनी जाकर दो तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में गवाह PW–1 भंवरलाल रेबारी (भू0अ0नि0 कास्यां) एवं चन्द्रसिंह शक्तावत (तत्कालीन पटवारी प0ह0 तिलस्वां) के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादी में स्वयं DW–1 कमलेश पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी किशननिवास के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 4 ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 की प्रति प्रस्तुत की हैं। दिनांक 2911.2016 का मौका पर्चा ग्राम माहपुरा की प्रति प्रस्तुत की हैं। न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां के निर्णय दिनांक 02.04.2019 पटवारी हल्का तिलस्वां **बनाम** कमलेश पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी किशननिवास के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं। नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं। अवैध खनन खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त संवत् 20273 के आराजी संख्या 82 रकबा 4–09 बीघा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की हैं। दिनांक 3011.2016 का मौका पर्चा ग्राम माहपुरा की प्रति प्रस्तुत की हैं। नोटिस की प्रति प्रस्तुत की हैं। ग्राम माहपुरा के नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की हैं। ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रति प्रस्तुत की हैं। दिनांक 17.03.2024 का मौका पर्चा ग्राम माहपुरा की प्रति प्रस्तुत की हैं।

हमने पैराकार सरकार एवं अधिवक्ता विपक्षी की बहस सुनी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

पैराकार सरकार ने बहस में बताया कि प्रतिवादी की ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की सरहद में स्थित आराजी नं0 82 रकबा 4.09 बीघा में से 160X150X6 घनफीट मे मिट्टी व टोले की झड़ाई तथा 140X90X4 घनफीट में सेण्ड स्टोन का पत्थर काटा गया। रकबा 1.08 बीघा भूमि में से अवैध खनन होने से उक्त आराजी को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज करवाना चाहा।हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण में पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रतिवादी कमलेश कुमार पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियां की ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की सरहद में स्थित आराजी नं0 82 रकबा 4.09 बीघा में से 160X150X6 घनफीट मे मिट्टी व टोले की झड़ाई तथा 140X90X4 घनफीट में सेण्ड स्टोन का पत्थर काटा गया। रकबा 1.08 बीघा भूमि में से अवैध खनन होने से उक्त आराजी को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 25/09/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

ायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 59 / 2019

दायर तारीख 30.08.2019

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........डिक्रीदार

बनाम्

01. कमलेश कुमार पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

2. ....मदयूनान

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. श्री ओमप्रकाश शर्मा – विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी

बनाम्

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :25 /09/2024

डिक्री दिनांक :25 /09/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी – श्री ओमप्रकाश शर्मा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिग्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अंतिम रुप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी कमलेश कुमार पिता भंवरलाल धाकड़ निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियां की ग्राम माहुपुरा पटवार मण्डल तिलस्वां की सरहद में स्थित आराजी नं0 82 रकबा 4.09 बीघा में से 160X150X6 घनफीट मे मिट्टी व टोले की झड़ाई तथा 140X90X4 घनफीट में सेण्ड स्टोन का पत्थर काटा गया। रकबा 1.08 बीघा भूमि में से अवैध खनन होने से उक्त आराजी को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख25 /09 /2024 को जारी की गई।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
ा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से
ीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा